सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और छत्तीसगढ़ राज्य

कनिका रॉय, समाजशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्विधालय, चूरू (राजस्थान) डॉ अमित कुमार, समाजशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्विधालय, चूरू (राजस्थान)

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने अपना स्वयं का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। छ.ग. में न केवल खाद्य सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकिन संतुलित आहार के उद्देश्य से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

- 1. अंत्योदय परिवार: अंत्योदय परिवारों की श्रेणी में उन परिवारों को शामिल करने का प्रावधान है जो या तो वर्तमान में अंत्योदय घरेलू योजना के लिए पात्र हैं या कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल हैं। ऐसे परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के मासिक हकदार हैं; 2 किलो मुफ्त आयोडीन युक्त अमृत नमक (नमक), अनुसूचित क्षेत्र में 5 रुपये प्रति किलो से 2 किलो तक दाल और गैर-अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो तक दाल 10 रुपये प्रति किलो। विभागीय डाटाबेस के अनुसार 14.64 लाख राशन कार्ड जारी किये गये हैं.
- 2. प्राथमिक परिवार: मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को प्राथमिक परिवार में रखा गया था। ऐसे परिवार 1 रुपये प्रति किलो से 35 किलो चावल के हकदार हैं; अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो निःशुल्क आयोडीन युक्त अमृत नमक और 5 रूपये प्रति किलो से 2 किलो चना प्रतिमाह। विभागीय डाटाबेस के अनुसार 42.60 लाख प्रथमिक परिवारों के नीले कवर राशन कार्ड जारी किये गये हैं।
- 3. सामान्य परिवार:- सामान्य परिवारों को उन घरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंत्योदय परिवारों और अपवर्जित परिवारों में शामिल नहीं हैं। ऐसे परिवार प्रति माह 9.50-10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 5-6.75 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के हकदार हैं।

विभागीय डाटाबेस के अनुसार इस योजना के तहत 4.19 लाख राशन कार्डों का बीमा किया गया है.

सार्वजिनक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराती है। प्रदेश में अक्टूबर 2014 तक 11088 उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही थीं, जिनमें से 4115 पंचायतें, 4364 सेवा सहकारी समितियाँ, 2412 महिला स्व-सहायता समूह, 154 वन सुरक्षा समितियाँ एवं 43 शहरी निकाय द्वारा संचालित की जा रही थीं। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य कार्ड जारी करने का अधिकार दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पंचायत को उनके अधिकार क्षेत्र में समान अधिकार दिया गया है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी राज्य अपनी अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से 1333 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करता है। वर्ष 2000-01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति 100 किलोग्राम और रु. धान की 'ए' श्रेणी के लिए प्रति 100 किलोग्राम 540 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य धान के लिए 1360 रुपये प्रति 100 किग्रा. वर्ष 2014-15 में ग्रेड 'ए' धान के लिए 1400 रुपये प्रति 100 किग्रा. वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर 79.72 लाख टन धान खरीदा गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 300 रूपये प्रति 100 किलोग्राम का बोनस वितरित किया गया।

राशन कार्ड:-

1. राज्य सरकार प्रत्येक योजना के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करेगी। निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त लाभार्थी परिवार के आवेदन के बाद राशन कार्ड जारी किये जायेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य सभी कमजोर नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और राशन कार्ड ऐसा करने का एक साधन है। इसलिए, उन सभी निवासियों को भी राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे जिनके निवास स्थान पर कानूनी स्वामित्व राज्य द्वारा विवादित है (उदाहरण के लिए वनवासी, शहरी अतिक्रमणकारी)।

भारत के पीडीएस का प्रमुख लक्ष्य

भारत के पीडीएस का एक प्रमुख लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कमजोर और गरीब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा जाल प्रदान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में खाद्यान्न का वितरण और उपलब्धता समय के साथ बदल गई है। 1997 में, लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लागू की गई, जिसने पहले इस्तेमाल की जाने वाली व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदल दिया। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से टीपीडीएस द्वारा चावल और गेहूं सबसे अधिक बेचे जाने वाले खाद्यान्न हैं, जो उन्हें बाजार में मिलने वाली कीमतों से बहुत कम कीमतों पर बेचते हैं। विभिन्न राज्यों ने टीपीडीएस की कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुधार रणनीतियाँ लागू की हैं। इस तथ्य के बावजूद कि टीपीडीएस 65 मिलियन से अधिक कम आय वाले परिवारों को सेवाएं प्रदान करता है, यह आलोचना से रिहत नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार, टीपीडीएस की वास्तव में प्राप्तकर्ता की अप्रभावी पहचान के साथ-साथ वितरण और रिसाव में इसकी अक्षमता के लिए निंदा की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 में पारित किया गया था और टीपीडीएस कार्यक्रम में संशोधन किया गया था, इसे कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से दूर सामाजिक सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, योग्य लाभार्थी कानूनी रूप से भारी रियायती कीमतों पर टीपीडीएस से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। एनएफएसए को कुछ राज्यों द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है, और शेष राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इस संबंध में, छह चयनित भारतीय राज्यों में टीपीडीएस का मुल्यांकन अध्ययन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार) द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) को नियुक्त किया गया था। एनएफएसए को तीन राज्यों: छत्तीसगढ़, कर्नाटक और बिहार में लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश अभी भी टीपीडीएस का अनसरण कर रहे थे। एनसीएईआर अध्ययन में, प्राथमिक लक्ष्य टीपीडीएस के पिछले मूल्यांकन अध्ययनों की डिग्री और किमयों को निर्धारित करना था जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था। इस एनसीएईआर में, मुल्यांकन के दो स्तर किए गए: घरेलू स्तर पर परिणामों का आकलन करने के लिए एक लाभार्थी-स्तर का मल्यांकन, और बहिष्करण और गलत समावेशन, साथ ही खाद्यान्न रिसाव की सीमा जैसी लाभार्थी लक्ष्यीकरण त्रुटियों का आकलन करने के लिए एक सिस्टम मूल्यांकन।

छत्तीसगढ़ देश में अपना खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है। छ.ग. में न केवल खाद्य सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकिन संतुलन आहार के लिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। इस अधिनियम में पात्र परिवारों के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किये गये हैं:

1. अंत्योदय परिवार: - ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है जो या तो वर्तमान में अंत्योदय घरेलू योजना के लिए पात्र हैं या कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल हैं। ऐसे परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के मासिक हकदार हैं; 2 किलो मुफ्त आयोडीन युक्त अमृत नमक (नमक), अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो चना 5 रुपये प्रति किलो और गैर-अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो तक दाल 10 रुपये

- ISSN -2393-8048, July-December 2021, Submitted in October 2021, <u>iajesm2014@gmail.com</u> प्रति किलो। विभागीय डाटाबेस के अनुसार 14.64 लाख राशन कार्ड जारी किये गये हैं।
 - 2. प्राथमिक परिवार: मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को प्राथमिक परिवारों में रखा गया था। ऐसे परिवार 1 रुपये प्रति किलो से 35 किलो चावल के हकदार हैं; अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो निःशुल्क आयोडीन युक्त अमृत नमक, 5 रूपये प्रति किलो से 2 किलो चना प्रतिमाह। विभागीय डेटाबेस के अनुसार प्राथमिक परिवारों के 42.60 लाख ब्लू कोर राशन कार्ड जारी किये गये हैं।
 - 3. सामान्य परिवार: सामान्य परिवार को उन घरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंत्योदय परिवारों और अपवर्जित परिवारों में शामिल नहीं हैं। ऐसे परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम चावल के लिए 9.50 रुपये और प्रति किलोग्राम 6.75 रुपये और 5 किलोग्राम गेहूं के लिए पात्र हैं। विभागीय डाटा बेस के अनुसार इस योजना के तहत 4.19 लाख राशन कार्डों का बीमा किया गया है।

उपभोक्ता 6501 उचित मूल्य की दुकानों पर भोजन का लाभ उठा सकते हैं। राज्य गठन के बाद 4532 पीडीएस दुकानें खोली गईं। अक्टूबर 2014 तक 11088 उपयोग में हैं, 4115 पंचायतों के अंतर्गत, 4364 सेवा सहकारी समितियों द्वारा, 2412 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा, 154 वन सुरक्षा समितियों द्वारा और 43 शहरी निकायों द्वारा उपयोग में हैं। उपभोक्ताओं को उचित दर पर मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था है। पंचायतों को संबंधित क्षेत्रों में अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य कार्ड देने का अधिकार दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम को उनके अधिकार क्षेत्र में समान अधिकार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पीडीएस प्रणाली में कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं

• राज्य पोषण के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ताओं को दालें, चना, चीनी और आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करता है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य नीति लक्ष्य समय पर खाद्यान्न की खरीद और वितरण करके देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करना है। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों का अधिग्रहण, खाद्य भंडार का निर्माण और रखरखाव, उनका भंडारण, संचलन और वितरण एजेंसियों को वितरण, साथ ही खाद्यान्न उत्पादन, स्टॉक और मूल्य स्तर की निगरानी शामिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को खाद्यान्न वितरण और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत भूख के जोखिम वाले गरीब परिवारों को कवर करने, भोजन की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वैधानिक कार्य

जब खाद्य व्यवसाय की बात आती है, तो खाद्य प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि कानून की प्रासंगिक आवश्यकताओं को खाद्य व्यवसाय में शामिल सभी पक्षों द्वारा सभी चरणों में पूरा किया जाता है। सुनिश्चित करें कि नियंत्रण और अन्य गतिविधियों की एक प्रणाली, जैसे खाद्य सुरक्षा और जोखिम के बारे में सार्वजनिक संचार, खाद्य सुरक्षा निगरानी और अन्य निगरानी गतिविधियाँ मौजूद हैं और खाद्य व्यवसाय के सभी चरणों को कवर करती हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों को अपने क्षेत्र में लागू और निष्पादित करेंगे। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और नामित अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदत्त हैं और अधिनियम में निर्दिष्ट समान प्रक्रिया का पालन करेंगे।

रायपुर जिला छत्तीसगढ़

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्राथमिक नीति उद्देश्य समय पर और कुशल तरीके से खाद्यान्न की खरीद और वितरण करके देश के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना है। इसमें

ISSN -2393-8048, July-December 2021, Submitted in October 2021, iajesm2014@gmail.com विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य भंडार की स्थापना और रखरखाव, वितरण एजेंसियों को खाद्यान्न का भंडारण, परिवहन और वितरण, साथ ही खाद्यान्न उत्पादन, स्टॉक और मूल्य स्तर की निगरानी शामिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करके, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के तहत भूख के जोखिम वाले गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण करके प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। एएवाई), भोजन की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा

खाद्य असुरक्षा सुरिक्षित और स्वस्थ भोजन तक सीमित पहुंच की स्थिति है, जबिक खाद्य सुरक्षा उस स्थिति को संदर्भित करती है जब 'सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरिक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच होती है' सिक्रय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी ज़रूरतें और भोजन प्राथमिकताएँ'। खाद्य असुरक्षा को एक निरंतरता के रूप में समझा जा सकता है जो घरेलू स्तर पर पर्याप्त और उचित भोजन तक पहुंच के बारे में अनिश्चितता और चिंता से लेकर बच्चों के बीच भूख की चरम स्थिति तक बढ़ती है क्योंिक उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद्य असुरक्षा का अनुभव कम आय वाले समुदायों में और उन लोगों के लिए अधिक गंभीर पाया गया है जो पहले से ही खराब स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। हालाँिक खाद्य असुरक्षा पर विचार करते समय गरीबी में योगदान देने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। अन्य प्रभावों में नीति, आबादी, देशों और क्षेत्रों में भोजन का वितरण, अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियाँ और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्रितिकूल पर्यावरणीय स्थितियाँ शामिल हैं जिनमें गंभीर सूखा, पानी की कमी और मिट्टी का क्षरण और कटाव शामिल हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा

हालाँकि खाद्य असुरक्षा की समग्र वैश्विक दरों में कमी आई है, फिर भी उप-सहारा अफ़्रीकी और दक्षिण एशिया में खाद्य असुरक्षा का अनुभव करने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी बनी हुई है। सबसे अधिक प्रभावित देशों में आमतौर पर गरीबी की उच्च दर के साथ-साथ पोषण संबंधी कमियों से जुड़ी बीमारी और मृत्यु दर की उच्च दर होती है। पिछले दो दशकों में तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद, कई भारतीयों को आर्थिक सुधार से लाभ नहीं हुआ है, और वे खाद्य असुरक्षा और भूख, कुपोषण और अल्पपोषण का एक उच्च बोझ और बढ़ते मोटापे का अनुभव कर रहे हैं; 2016 में, 190 मिलियन से अधिक लोग अल्पपोषित बताए गए थे जो किसी एक देश में सबसे अधिक है।

भारत में खाद्य असुरक्षा और भुखमरी के पीछे कारण जिटल हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की उच्च दर एक भूमिका निभा सकती है जैसा कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक लाभ की एकाग्रता और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में महत्वपूर्ण बदलावों से पता चलता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव भी खाद्य असुरक्षा में एक उभरते हुए योगदानकर्ता हैं, जिसमें असमान मौसम पैटर्न और बढ़ता सूखा खाद्य भंडार की असमान वृद्धि और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। सबसे हालिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में भारत को 'गंभीर' श्रेणी के शीर्ष पर रखा गया है, क्योंकि भारत भूख और कुपोषण को संबोधित करने में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है; वर्तमान में तीन में से एक भारतीय बच्चा अविकिसत है, जो दुनिया की अविकिसत जनसंख्या का एक तिहाई है, और पाँच में से एक कमज़ोर है। भारत में भी कई लोग गुप्त भूख का अनुभव करते हैं। छिपी हुई भूख पुरानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति को संदर्भित करती है, जहां एक व्यक्ति के पास पर्याप्त कैलोरी तक पहुंच हो सकती है, लेकिन पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। छिपी हुई भूख स्वास्थ्य और खुशहाली पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है, और यह विशेष रूप से बच्चों के लिए समस्याग्रस्त है।

भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में पिछले 60 वर्षों में कई नीतियां अपनाई हैं। भारत में खाद्य असुरक्षा और भुखमरी की प्रमुख प्रतिक्रियाओं में से एक सरकार

ISSN -2393-8048, July-December 2021, Submitted in October 2021, jajesm2014@gmail.com नियंत्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घरेलु कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से स्थापित, पीडीएस सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सार्वभौमिक वितरण प्रणाली के रूप में विकसित हुई है । केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से, खाद्य-सुरक्षा जाल कार्यक्रम का लक्ष्य गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल सहित आवश्यक घरेलू आपूर्ति को पूरा करना है। हालाँकि, भोजन की कमी के अन्य समाधानों की तरह, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी आवश्यक घरेलू खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि खरीदे गए या खेती किए गए सामानों के पुरक के लिए सामान प्रदान करना है। वितरण को सविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है जो किसानों से उस कीमत पर खाद्यान्न की खरीद के लिए जिम्मेदार है जो अक्सर बाजार मूल्य से अधिक होती है। व्यक्तिगत राज्य सरकारें एफसीआई से रियायती मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती हैं, जिसे 'केंद्रीय निर्गम मुल्य' के रूप में जाना जाता है, फिर इन सामानों को उचित मूल्य या राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। जुन 1992 में पीडीएस में किए गए संशोधनों का उद्देश्य कवरेज में सुधार करना था, खासकर वंचित, दूरदराज या पहुंच में मुश्किल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए । निचले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए जून 1997 में पीडीएस को फिर से पुनर्गिठित किया गया था। इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे पहचाने गए 60 मिलियन परिवारों को सात मिलियन टन से अधिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है । इसके बाद भारत के गरीबों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एक हिंदी शब्द जिसका अर्थ है "दलितों के लिए अनाज योजना") की शुरूआत (दिसंबर 2000 में और 2003-2006 में विस्तार) हुई। यह योजना सबसे गरीब लोगों को अधिक कुशलता से लक्षित करने के लिए पीडीएस को सूव्यवस्थित करने का एक प्रयास था। पीडीएस के इस विस्तार में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ विधवाओं और बीमारी या दर्बलता से प्रभावित लोगों को भोजन और सामान का प्रावधान भी शामिल था।

पीडीएस को मजबूत करने के इन उपायों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की शुरूआत के माध्यम से वैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ। जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाने के माध्यम से, एनएफएसए द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। इसके कार्यान्वयन के माध्यम से, पीडीएस ने ग्रामीण आबादी का 75% कवरेज हासिल किया, और लगभग आधी शहरी आबादी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मौद्रिक और पोषण संबंधी सहायता अनिवार्य थी, और एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याहन भोजन योजनाओं के माध्यम से, बच्चों को 6 महीने से 14 साल की उम्र को भी कवर किया गया। एनएफएसए ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया कि इसने भारत के खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को अच्छे स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के मौलिक अधिकार के अनुसार कानूनी दर्जा प्रदान किया। एनएसएफए ने अपने संचालन की पारदर्शिता में सुधार करते हुए हितधारकों पर अधिक जवाबदेही लागू करके भ्रष्टाचार और डायवर्जन के रूप में टीपीडीएस के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ रास्ता अपनाया।

जबिक कई अध्ययनों ने भारत की खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में पीडीएस और एनएफएसए की भूमिका की पहचान की है, कम से कम कैलोरी के प्रावधान के माध्यम से मिस-टार्गेटिंग, अंडर-कवरेज के मुद्दों से संबंधित कुछ चिंताएं हैं , भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क के कार्यान्वयन और संचालन को प्रभावित करने वाला भ्रष्टाचार और विचलन । इन चिंताओं को समझना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई गैर-सरकारी संगठन और सरकारी निकाय वितरित भोजन की मात्रा और पीडीएस के माध्यम से पहुंचे लोगों की संख्या पर रिपोर्ट प्रदान करते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण या विश्लेषण बहुत कम है। खाद्य असुरक्षा और पीडीएस से संबंधित व्यापक मुद्दों से संबंधित साक्ष्य। इसके अलावा, ये रिपोर्टे शायद ही कभी डेटा संग्रह और/या विश्लेषण के लिए विधि प्रदान करती हैं, जिससे आगे की व्याख्या मुश्किल हो जाती है। यह वर्तमान समीक्षा

International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)

ISSN -2393-8048, July-December 2021, Submitted in October 2021, iajesm2014@gmail.com पीडीएस पर प्रकाशित साहित्य को एक साथ लाने का प्रयास करती है, ताकि भारत में खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने में इसकी भूमिका की जांच की जा सके। यह समीक्षा इस बड़ी और महंगी खाद्य वितरण प्रणाली और सबसे लोकलुभावन, लेकिन असमान देशों में से एक में इसकी भूमिका को समझने का प्रयास करती है। यह इस तरह के कार्यक्रम की पहली समीक्षा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करना है। उपलब्ध सहकर्मी-समीक्षा साहित्य की जांच करके, यह समीक्षा भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के किसी भी प्रयास में पीडीएस की भूमिका को समझने का प्रयास करती है।

संदर्भ

- 1. एफएओ. विश्व खाद्य सुरक्षा और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की कार्य योजना पर रोम घोषणा। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1996 में; संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन: रोम, इटली, 1996।
- 2. केंडल, ए.; ओल्सन, सी.एम.; फ्रोंगिलो, ई.ए., जूनियर भूख और खाद्य असुरक्षा के रेडिमर/कॉर्नेल उपायों की मान्यता। जे. न्यूट्. 1995, 125, 2793.
- 3. ओल्सन, सी.एम. खाद्य असुरक्षा और भूख से जुड़े पोषण और स्वास्थ्य परिणाम। जे. न्यूट्र. 1999, 129, 521एस-524एस।
- 4. जोशी, पी.के. उभरते भारत में खाद्य सुरक्षा में सुधार और गरीबी कम करने के रास्ते। कृषि. इकोन. रेस. समीक्षा 2016, 29, 171-182।
- 5. रोज़ग्रांट, एम.डब्ल्यू. वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ और नीतियाँ। इकोन. रेव. 2016, 5-20.
- 6. जयसूर्या, एस.; मुदभारी, पी.; ब्रोका, एस. एशिया में खाद्य सुरक्षा: हाल के अनुभव, मुद्दे और चुनौतियाँ। इकोन. पैप. 2013, 32, 275-288।
- 7. सरकार, ए.एन. वैश्विक जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना। उत्पादकता 2016, 57, 115-122।
- 8. रोजास, आर.वी.; अचौरी, एम.; मारौलिस, जे.; काओन, एल. स्वस्थ मिट्टी: टिकाऊ खाद्य सुरक्षा के लिए एक शर्त। पर्यावरण. पृथ्वी विज्ञान. 2016, 75, 10.
- 9. कुएस्टा, जे. क्या एशिया में दीर्घकालिक खाद्य असुरक्षा अपरिहार्य है? पीएसी. रेव. 2014, 27, 611-627.
- 10. नारायणन, एस. भारत में खाद्य सुरक्षा: अनिवार्यता और इसकी चुनौतियाँ। एशिया पीएसी. नीति अध्ययन. 2015, 2, 197-209।